Vol 6 Issue 6 July 2016

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Manichander Thammishetty
Ph.d Research Scholar, Faculty of Education IASE, Osmania University, Hyderabad.

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari
Professor and Researcher ,
Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.org

ISSN: 2230-7850 Impact Factor : 4.1625(UIF) Volume - 6 | Issue - 6 | July - 2016

Indian Streams Research Journal
International Recognized Multidisciplinary Research Journal
ISSN No : 2230-7850 Impact Factor : 4.1625 (UIF) [Yr. 2016]

Indian Streams Research Journal

तिब्बती शरणार्थियों का राजनीतिक विकास : मैनपाट के विशेष संदर्भ में

डॉ. अनुराधा सिंह
सहा. प्राध्यापक राजनीति विज्ञान , शासकीय श्याम प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय
सीतापुर, सरगुजा (छ.ग.)

सारांश :–
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अम्बिकापुर मुख्यालय से 45 कि.मी. की दूरी पर समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊँचाई पर बसा मैनपाट तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के प्रमुख केन्द्रों में से एक है। भारत और तिब्बत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, अतः तिब्बती शरणार्थियों के साथ भारत में सहयोगात्मक व्यवहार किया जाता है। भारत में इन्हें अपनी निर्वासित सरकार की स्थापना की मंजूरी दी गई है ताकि ये अपनी पहचान व अस्मिता सुरक्षित रख सके। परंतु भारत–भूमि का उपयोग ये किसी भी प्रकार से राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर सकते है। भारत में तिब्बती शरणार्थी इसलिए विशिष्ट हैं क्योंकि निर्वासित सरकार व मध्यम मार्ग की नीति के माध्यम से इन्होंने अपना राजनीतिक विकास जारी रखा है।

अध्ययन का उद्देश्य :–
इस शोध पत्र का उद्देश्य तिब्बती शरणार्थियों विशेषकर मैनपाट में रहने वाले तिब्बतियों के राजनीतिक स्थिति व विकास को समझना है।

शोध प्रविधि :–
इस अध्ययन में साक्षात्कार, अनुसूची, सहभागी अवलोकन शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों, पुस्तकों, निर्वासित तिब्बती सरकार द्वारा प्रकाशित ऑकड़े और अन्य प्रकाशित, अप्रकाशित व इन्टरनेट स्त्रोतों की सहायता ली गई है।

प्रस्तावना :–
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का मैनपाट यद्यपि देश के पर्यटन मानचित्र पर स्थित न हो लेकिन दूर तक फैला हुआ इसका विहंगम दृश्य सबके मन को हर्षित करने वाला है। मैनपाट रमणीय छटा के अतिरिक्त तिब्बती समुदाय की बसाहट के लिए भी प्रसिद्ध है। इसलिए इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। 1959 में तिब्बत का चीन द्वारा राज्यहरण करने के पश्चात् तिब्बती समुदाय के हजारों लोगों ने भारत में शरण ली। उसी तारतम्य में तिब्बतियों के फेनडेलिंग समुदाय के चौदह सौ लोगों को भारत सरकार के द्वारा 1962 में यहॉ बसाया गया। उस समय यह स्थान मध्यप्रदेश राज्य में आता था।

आरंभ में तिब्बतियों को शरणार्थी शिविरों में टेंट के अंदर रखा गया। धीरे–धीरे इन्हें विभिन्न पुनर्वास केन्द्रों पर आवास तथा खेती योग्य भूमि राज्य सरकारें द्वारा प्रदान की गई। शीघ्र ही तिब्बत तथा तिब्बत से बाहर रहने वालों की पहचान बनाये रखने के लिए तिब्बती प्रशासन तथा संसद की स्थापना की गई। दलाई लामा ने राजनीतिक सत्ता को जनता द्वारा निर्वाचित सिक्योड को पूर्णरूपेण हस्तांतरित करके न केवल तिब्बत के आदर्श लोकतांत्रिक प्रणाली बल्कि तिब्बत के स्वशासन की बहाली के लिए मध्यम मार्ग के रास्ते पर प्रतिबद्धता भी जताई।

मैनपाट के तिब्बतियों की राजनीतिक स्थिति : मैनपाट के विशेष संदर्भ में

भारत द्वारा तिब्बती शरणार्थियों को प्रदान की गई सहायता नैतिक व मानवीय आधार पर दी जा रही है। क्योंकि भारत न तो 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन का एक पक्ष था और न ही 1967 के प्रोटोकॉल का। किसी विशेष शरणार्थी कानून की कमी के कारण भारत ने शरणार्थियों के संबंध में तदर्थ दृष्टिकोणों को अपनाया है। भारत सरकार ने तिब्बतियों के लिए ''शरणार्थी'' शब्द का प्रयोग किया। 'रिफ्यूजी' पद कानूनी न होकर राजनीतिक है। तिब्बती शरणार्थी यहॉ अपने अधिकारों का उस प्रकार उपभोग नहीं कर सकते जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संधि मानने वाले देशों में वो उपभोग करते हैं।

भारत में शरणार्थियों की कानूनी स्थिति मुख्यतः Foreigners Act 1946 और नागरिकता कानून 1955 द्वारा निर्धारित की जाती है। ये कानून सभी विदेशी नागरिकों पर समान रूप से लागू किए जाते हैं। बगैर वैध यात्रा तथा आवास कागजात वालों को इस एक्ट के तहत् आपराधिक श्रेणी में रखा जाता है।[1]

तिब्बत 2000 वर्षों से अधिक समय तक एक स्वतंत्र देश रहा है। इसकी अपनी सरकार, नागरिक सेवाएँ, न्यायिक पद्धति, मुद्रा, सेना और पुलिस बल थे। आठवीं शताब्दी में चीन की प्राचीन राजधानी जियान पर तिब्बतियों का अधिकार था कभी चीन का तिब्बत पर प्रभाव था और कभी दोनों ही विदेश शासन के अधीन रहे।[2]

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त से अंग्रेजी और रूसी साम्राज्य ने तिब्बत पर अपना प्रभाव जमाना चाहा। 1904 में अंग्रेजों ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। परिणामस्वरूप एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जिसने तिब्बत को एक पूर्ण स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकृत किया।[3]

चीन के अधिग्रहण के पूर्व तिब्बत में राजतन्त्रात्मक शासन पद्धति थी। तिब्बत के अध्यात्मिक नेता दलाई लामा के पास लौकिक और धार्मिक दोनों अधिकार थे। शिष्टजन और भिक्षु दोनों शासन प्रबंध में अधिकारी थे। 13वें दलाई लामा ने देश और सरकार दोनों में सुधार लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने तार सेवा व आधुनिक अंग्रेजी पाठशाला की स्थापना का समर्थन किया।

1959 ल्हासा में तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह हुआ और 14वें दलाई लामा ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ पड़ोसी देश में पलायन कर दिया। आरंभ में तिब्बतियों को शरणार्थी शिविरों में टेंट के अंदर रखा गया। परंतु शीघ्र ही तिब्बत तथा तिब्बत से बाहर रहने वालों की पहचान बनाये रखने के लिए तिब्बती प्रशासन तथा संसद की स्थापना की गई। तिब्बती संसद का गठन करते हुए इतिहास में पहली बार पहला तिब्बती लोकतांत्रिक संविधान का मसौदा तैयार किया गया। दलाई लामा ने राजनीतिक सत्ता को जनता द्वारा निर्वाचित सिक्योड को पूर्णरूपेण हस्तांतरित करके मात्र तिब्बत के आदर्श लोकतांत्रिक प्रणाली को ही नहीं बल्कि तिब्बत के स्वशासन के बहाली के लिए माध्यम मार्ग के रास्ते पर प्रतिबद्धता भी जताई।

निर्वासित तिब्बती सरकार (EXILE TIBETAN GOVERNMENT) :

चीन की आततायी नीतियों के फलस्वरूप दलाई लामा ने भारत में शरण ली। महात्मा गॉधी के शब्दों में कहे तो इसे हिजरत करना कहा जायेगा। भारत आने के पश्चात् तत्कालीन भारत सरकार ने तिब्बतियों को निर्वासित सरकार स्थापित करने की मंजूरी दी। इस निर्वासित सरकार के माध्यम से वे अपनी अस्मिता सुरक्षित रखे हुए हैं।

*केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन (*Central Tibetan Administration CTA*) :*

स्वतंत्र तिब्बत की सरकार को जारी रखने के उद्देश्य से 29 अप्रैल 1959 को सर्वप्रथम मसूरी में केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन (के0ति0प्र0 CTA) की नींव रखी गई। मई 1960 में इसे उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थानांतरित कर दिया गया। तिब्बत के अन्दर व बाहर रहने वाले लोग के.ति.प्र. को अपना एकमात्र वैधानिक प्रतिनिधि मानते हैं। निर्वासित तिब्बती संसद, जिसका चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है, उसके द्वारा निर्मित संविधान के अनुसार ही के.ति.प्र. अपना कार्य करता है।[4]

संविधान–निर्वासित तिब्बती समुदाय का संविधान निर्वासित तिब्बती चार्टर के नाम से जाना जायेगा। यह के.ति.प्र. के ऊपर नियंत्रण करने वाला सर्वोच्च कानून है। निर्वासित तिब्बती संसद के द्वारा इस चार्टर को 14 जून, 1991 को स्वीकृत किया गया।[5] संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा से अनुप्राणित यह चार्टर कानून के समक्ष व बिना किसी भेदभाव के अधिकारों के उपभोग को स्वीकृति देता है। चार्टर शक्ति के पृथक्करण में विश्वास करता है और के.ति.प्र. के तीनों विभागों न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को परस्पर अलग करता है।

न्यायपालिका : केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन का सर्वोच्च न्यायिक अंग तिब्बती सर्वोच्च न्यायिक आयोग है, जो धर्मशाला के मैक्लोडगंज में स्थित है। यह न्यायिक आयोग सिविल मामलों में अपना निर्णय देता है। न्यायिक आयोग में मुख्य न्यायिक कमिश्नर और दो अन्य न्यायिक कमिश्नर होते हैं। इन सभी को निर्वासित तिब्बती संसद के अनुमोदन के पश्चात् परम पावन दलाई लामा के द्वारा नियुक्त किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायिक आयोग त्रिस्तरीय है, मध्यवर्ती स्तर पर सर्किट न्यायिक आयोग और निचले स्तर पर स्थानीय न्यायिक आयोग कार्य करता है। कर्नाटक के बायलाकुप्पी और देहरादून में सिर्फ दो जगह ही पूरी तरह से कार्यरत् स्थानीय न्यायिक आयोग है। इसके अतिरिक्त पन्द्रह जगहों पर स्थानीय न्यायिक आयोग के कार्यों को वहाँ के मुख्य तिब्बती प्रशासकों को सौंप दिए गए हैं। तिब्बती समुदाय के लोगों का कहना है कि वे लोग बहुत ही शांतिप्रिय हैं और बुद्ध के नियमों को मानते हैं इसलिए उनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। यदा–कदा स्थानीय समुदाय के लोगों से उनके विवाद हो जाया करते हैं। न्यायपालिका की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती।[6]

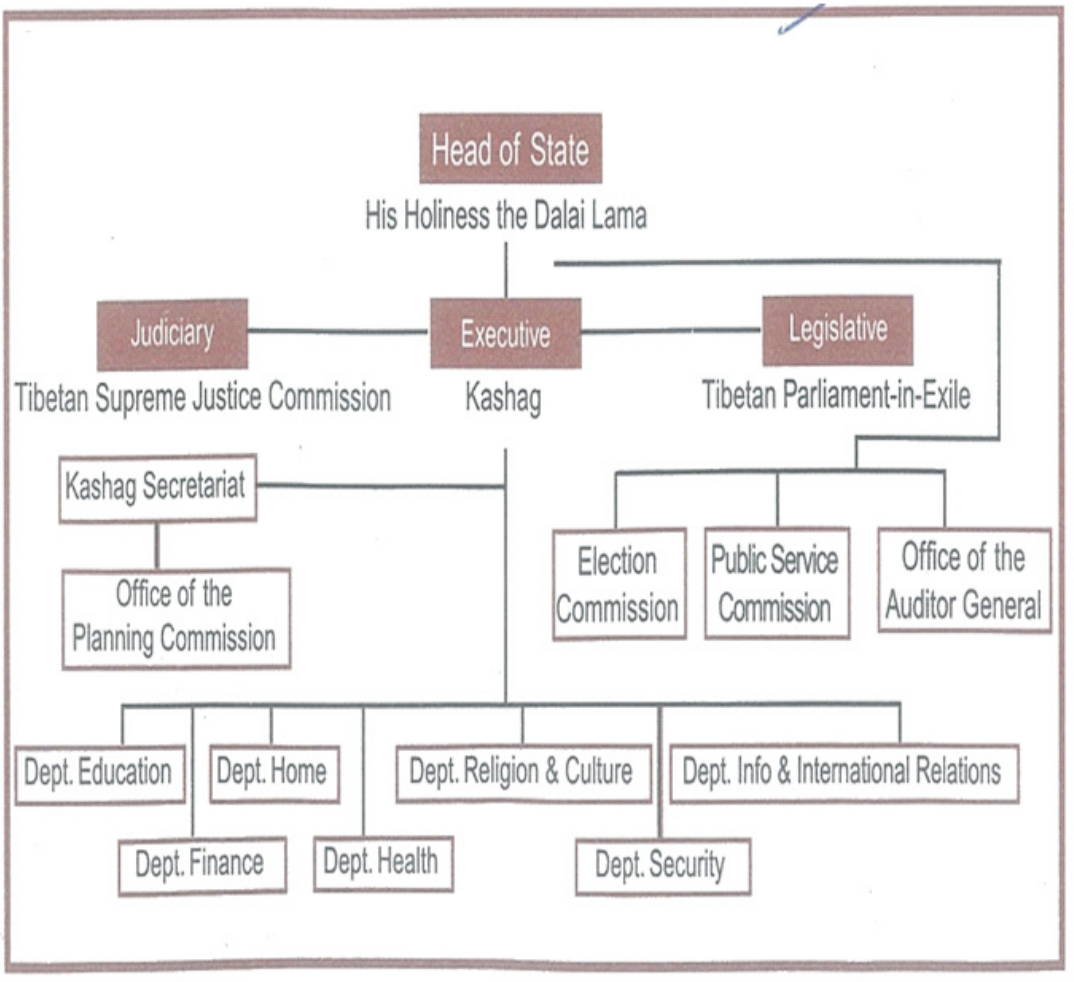

स्रोत : DIIR

विधायिका : निर्वासित तिब्बती संसद निर्वासित तिब्बतियों का सर्वोच्च विधायी अंग है। 46 सदस्यीय संसद में 43 सदस्यों का चुनाव तिब्बती समुदाय में से प्रत्यक्ष रूप से होता है जबकि 03 सदस्य को परमपावन दलाई लामा के द्वारा नियुक्त किया जाता है।[7]

संसद की बैठक वर्ष में दो बार होती है जिसमें नये कानून व संशोधनों को पास किया जाता है तथा पुराने को निरसित किया जाता है। संसद सत्र में कार्यपालिका के कार्यों पर बहस व आलोचना भी होती है अर्थात् विधायिका कार्यकारिणी पर नियंत्रण भी रखती है।

कार्यपालिका : 'काशग' निर्वासित तिब्बती समुदाय की कार्यकारिणी का सर्वोच्च अंग है अर्थात् तिब्बती मंत्रिमण्डल (कैबिनेट) को काशग कहा जाता है। काशग का मुखिया केलोन त्रिपा (प्रधानमंत्री) के नाम से जाना जाता है। प्रवासी तिब्बतियों द्वारा वह प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। केलोन त्रिपा अपने कैबिनेट सहयोगियों को नियुक्त करता है और इनकी संख्या सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके पश्चात् इन नियुक्तियों पर संसद से सहमति ली जाती है।

काशग के अधीन केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन के सात प्रमुख विभाग आते हैं, ये हैं– धर्म और संस्कृति विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, रक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग।

काशग के अधीन विभिन्न विभागों के कार्य :

धर्म व संस्कृति विभाग–(Department of religion and Culture) यह विभाग हासिये पर आ गई तिब्बती संस्कृति वह धर्म के संरक्षण का कार्य करता है। चार दशकों से अधिक समय से निर्वासित तिब्बती समुदाय ने 200 से अधिक मठों व बौद्ध मंदिरों का निर्माण किया गया जिसमें 20000 भिक्षु–भिक्षुणियाँ निवास करते हैं। विभाग इन सांस्कृतिक संस्थाओं को सहयोग प्रदान करता है।

इसके साथ ही साथ कुछ सांस्कृतिक केन्द्रों की भी स्थापना की गई है जिसमें तिब्बती आध्यात्म व संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। जिनमें से कुछ स्वायत्त प्रकार की है और उनका वित्तपोषण भारत सरकार करती है जबकि अन्य का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से इस विभाग के पास है। भारत में स्थित कुछ सांस्कृतिक केन्द्र निम्न है– द लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एण्ड अर्काइव्स, धर्मशाला, तिब्बतन इन्स्टीट्यूट

ऑफ परफारमिंग आर्ट्स धर्मशाला, द तिब्बत हाउस नई दिल्ली, सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट फार हायर तिब्बतन स्टडी, सारनाथ वाराणसी, नोरबुलिंका इन्स्टीट्यूट फॉर तिब्बतन सिद्धपुर धर्मशाला।

गृह विभाग– यह विभाग निर्वासित तिब्बती समुदाय के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग भारत में 21 कृषि सेटलमेंट, 11 क्लस्टर यूनिट 8 कृषि औद्योगिक क्षेत्र और चार कालीन निर्माण सोसायटी से जुड़े कल्याण कार्यों को सम्पादित करता है। नेपाल और भूटान के 20 तिब्बती सेटलमेंट का भी ध्यान रखता है।

शिक्षा विभाग– शिक्षा विभाग भारत, नेपाल व भूटान के 77 स्कूलों का प्रशासन देखता है जिसमें तीस हजार बच्चे पढ़ते हैं। इन सतहत्तर स्कूलों में से 28 स्कूलों का वित्तपोषण, केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

वित्त विभाग– यह विभाग सी0टी0ए0 का वार्षिक बजट तैयार कर निर्वासित तिब्बती संसद के पटल पर रखता है। यह विभाग के0ति0प्र0 के व्यय की निगरानी के साथ–साथ राजस्व के संसाधन भी जुटाता है। निर्वासित तिब्बती समुदाय से प्राप्त वार्षिक स्वैच्छिक योगदान इसके राजस्व का मुख्य स्त्रोत है।

रक्षा विभाग– दलाई लामा की सुरक्षा का दायित्व इस विभाग का प्राथमिक कार्य है। दलाई लामा के जनदर्शन कार्यक्रमों की व्यवस्था के साथ साथ यह विभाग शरणार्थियों के लिए रोजगार, स्कूल व मठों में उन्हें उनके कार्यों से भी सम्बद्ध करता है। नई दिल्ली व काठमांडू में स्थित रिसेप्शन सेंटर पर आने वाले नये शरणार्थियों का ध्यान रखता है।

सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग– सूचना और विदेश विभाग अपने कार्यों के माध्यम से विश्व जनमत का ध्यान तिब्बत में हो रहे मानवाधिकार के हनन व पर्यावरण विनाश की ओर आकर्षित करता है। इसके लिए वह पुस्तकों का प्रकाशन, इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया का प्रयोग करता है। विभाग के अधीन के0ति0प्र0 के बारह विदेशी मिशन आते हैं जो CTA के दूतावास के रूप में कार्य करते हैं। ये नई दिल्ली, काठमांडू, न्यूयार्क, जेनेवा, टोक्यो, लंदन, केनबरा, पेरिस, मास्को, प्रिटोरिया, ताइपे व ब्रसेल्स में स्थित है।

स्वास्थ्य विभाग– स्वास्थ्य विभाग के अधीन पॉच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सात अस्पताल, सैतालिस क्लीनिक और चलित क्लीनिक भारत व नेपाल के तिब्बती पुनर्वास केन्द्रों में संचालित किये जाते हैं।

स्वायत्तशासी संस्थाएँ– चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षक कार्यालय तीन स्वायत्तशासी संस्थाएँ है।

चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन कमिश्नर और दो अतिरक्ति कमिश्नर होते है जिनकी नियुक्ति दलाई लामा द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य निर्वासित संसद, स्थानीय संसद, संसद के उपस्पीकर और स्पीकर, काशग के सदस्य व अध्यक्ष के चुनाव कराना व चुनाव पर निगरानी रखना है। यद्यपि तिब्बती पुनर्वास केन्द्र के सेटलमेंट आफिसर वेलफेयर अफिसर्स को के0ति0प्र0 द्वारा नियुक्त किया गया है लेकिन यदि सेटलमेंट में रहने वाले निवासी इस पद को चुनाव द्वारा भरने की मांग करते हैं तो चुनाव आयोग ऐसे चुनाव करायेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पॉच वर्ष के लिए होता है लेकिन विधायिका इसके पूर्व भी 2/3 बहुमत से इसे हटा सकती है।

लोक सेवा आयोग– का गठन 11 फरवरी 1992 को किया गया। इसका मुख्य कार्य के0ति0प्र0 के लोक सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण, नियुक्ति व पदोन्नति करना है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति पॉच वर्ष के लिए दलाई लामा के द्वारा की जाती है।

लेखा परीक्षक कार्यालय की स्थापना 1962 के0ति0प्र0 के अधीन आने वाले सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के वित्तीय प्रबंधों की देखभाल व आडिट करने के लिए हुई थी। आडिटर जनरल दलाई लामा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाता है।

लेखा परीक्षक के0ति0प्र0 के सभी विभागों की संपरीक्षा करता है। ये बहुत सी अन्य लोक संस्थाओं जैसे को–आपरेटिव सोसायटी, व्यापार संबंधी, शिक्षण संस्थाएँ, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र आदि का भी परीक्षण करता है।[8]

मैनपाट सेटलमेन्ट की राजनीतिक व प्रशासनिक स्थिति :

सेटलमेंट आफिसर– तिब्बती शरणार्थियों को जिन–जिन स्थानों पर पुनर्वासित किया गया है या सेटलमेंट कैम्प में, प्रत्येक में एक सेटलमेंट ऑफिसर होता है। जो तिब्बती गृह विभाग का प्रतिनिधि होता है और इसकी नियुक्ति केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन, धर्मशाला, द्वारा की जाती है।[9] वर्तमान में मैनपाट के सेटलमेंट आफिसर मि0दावा (DAWA) है। जिनकी नियुक्ति के0ति0प्र0 धर्मशाला द्वारा हुई है। सेटलमेंट आफिसर का पद भारतीय जिलाधिकारी के समकक्ष माना जाता है। सेटलमेंट से संबंधित मामलों का प्रभार इसी आफिसर के पास होता है। मैनपाट सेटलमेंट में एक सहकारी संघ भी कार्यरत् है जिसके कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भी के0ति0प्र0 धर्मशाला से होती है। वह भी सेटलमेंट आफिसर के अधीन कार्य करता है। इसके अतिरिक्त वर्कशाप के मैनेजर, लघु हथकरधा तथा गॉवों के मुखिया भी सेटलमेंट आफिसर के अधीन कार्य करते हैं।

सेटलमेंट आफिसर तिब्बती गृह विभाग और सेटलमेंट के मध्य कड़ी का कार्य करता है और आम लोगों तक जानकारी पहुँचाने का मुख्य स्त्रोत होता है। यह पद मुखिया, न्यायधीश व मुख्य कूटनीतिज्ञ सभी की भूमिका निभाता है। यह आफिसर ग्रुप लीडर्स व अन्य बाहरी प्राधिकारियों के साथ मिलकर विवादों का निपटारा करने के साथ साथ सेटलमेंट की अन्य समस्याओं का निदान करता है।

ग्रुप लीडर (कैम्प लीडर)[10]– मैनपाट सेटलमेंट सात कैम्पों या गॉवों में विभाजित है और सभी सात कैम्पों के अपने अपने चुने हुए ग्रुप लीडर है। इनका मुख्य कार्य सेटलमेंट आफिसर्स के साथ सहयोग करना, लोगों तक सूचनाएँ पहुँचाना, विवादों का निपटारा करना व धन संग्रह करना। ग्रुप लीडर्स का चुनाव न तो किसी निश्चित मुद्दों के प्रचार–प्रसार और न ही उनके नीति निर्माण विचारों के कारण होता है। मैनपाट के कैम्प नं0 02 के तिब्बती निवासी थुपेटेन का कहना है कि ग्रुप लीडर का चुनाव उनके व्यक्तित्व के आधार पर होता है जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की क्षमता हो तथा जो अपने कैम्प के हित के बारे में सोचता हो।[11] यदि भारतीय शासन से तुलना की जाए तो ये लीडर्स भारतीय सरपंच/ग्राम प्रधान की भांति होते हैं जो अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मैनपाट में चूँकि तिब्बती जनसंख्या अल्प ही है। अतएव ग्रुप लीडर्स द्वारा इनका प्रतिनिधित्व उचित तरीके से किया जाता है। ग्रुप लीडर्स का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और इनके चुनाव की प्रक्रिया कैम्प नं0 01 में ही सम्पन्न होती है।

लोकल तिब्बतन असेम्बली :

लोकल तिब्बतन असेम्बली का गठन स्थानीय जनता द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। इस असेम्बली में न्यूनतम 06 तथा अधिकतम 17 सदस्य हो सकते हैं।[12] इसका मुखिया चेयरपर्सन कहा जाता है। इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। चेयरपर्सन की तुलना भारतीय विधायकों से की जा सकती है। इसका मुख्य कार्य सेटलमेंट अधिकारी के ऊपर नियंत्रण रखना होता है। ताकि वह निरंकुश न होने पाए। इसके अतिरिक्त वह बजट सेशन में बजट पास करवाता है तथा बजट के सही ढंग से उपयोग पर नियंत्रण रखता है।

भारत व पूरे विश्व में जहॉ–जहॉ भी तिब्बती बसे हुए हैं प्रत्येक सेटलमेंट से एक चेयरपर्सन का चुनाव किया जाता है ताकि केन्द्रीय तिब्बती शासन में तिब्बतियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व हो सके।

तिब्बती पहचान को बनाये रखने तथा भविष्य में लोकतांत्रिक तिब्बत बनाने हेतु निर्वासित तिब्बती सरकार को बनाये रखना अपरिहार्य था। तिब्बती जनता द्वारा प्रारंभ में राजनीतिक स्वतंत्रता की मॉग की गई लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम व वस्तुस्थिति को देखते हुए न्यायोचित स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मध्यममार्ग की नीति अपनाई गई। इसके अंतर्गत तिब्बत की समस्या का समाधान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC) के संविधान तथा जातिगत अस्थानीय स्वायत्त कानून (LRNA) एक अनुरूप किया जाना, समस्त तिब्बती जाति को निश्चित रूप से एक स्वायत्त प्रशासन के अंतर्गत लाना और इसकी प्राप्ति के लिए केवल अहिंसात्मक मार्ग को आधार बनाना इस नीति का अपरिहार्य सार है।[13]

मैनपाट में रहने वाली अधिकांश जनता ग्रामीण है, मध्यमार्ग की नीति की व्याख्या बहुत से लोगों के समझ से परे है लेकिन उन्हें दलाई लामा व निर्वासित सरकार के नेतृत्व में जरा भी संदेह नहीं है। अध्ययन के दौरान पूर्ण स्वतंत्रता व स्वायत्ता के मुद्दे पर भ्रम की स्थिति रही। सत्तावन लोगों को इस मुद्दे पर सर्वे में शामिल किया गया। जिनमें से इक्तीस लोग तिब्बत की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं जबकि सत्रह लोगों ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चायना के तहत् यथार्थ स्वायत्ता की मॉग पर सहमति दी। नौ लोगों ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया।

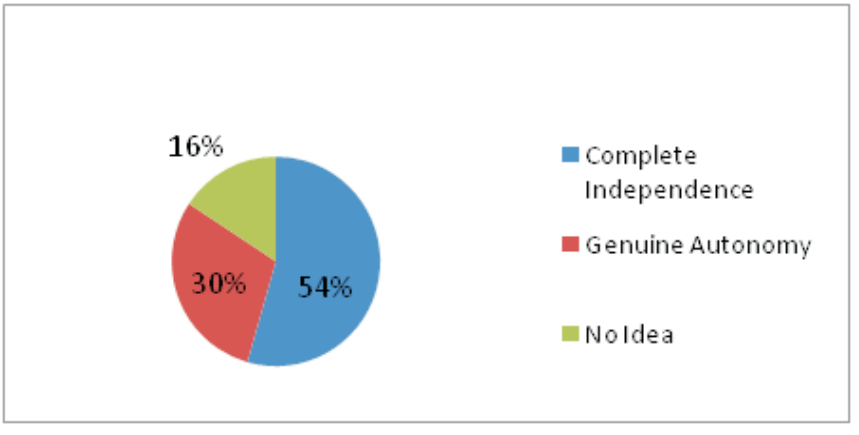

स्त्रोत :– सर्वे में 57 लोग शामिल

मैनपाट के तिब्बती शरणार्थी तिब्बती समुदाय की सफलता के लिए महिलाओं की भागीदारी को भी आवश्यक मानते हैं उनका मानना है कि भविष्य के तिब्बत निर्माण व उसकी राजनीति में महिलाओं की भी पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। इस हेतु निर्वासित संसद में भी उनके लिए स्थान आरक्षित किया गया। महिलाओं को लेकर उनमें प्रायः कोई भेद नहीं है। निर्वासित तिब्बती सरकार भारत के संविधान से प्रेरणा ग्रहण करती है और उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था है। अहिंसात्मक तरीके से यह तिब्बत की स्वायत्ता का समर्थन करता है। 1959 में भारत में स्थापित निर्वासित सरकार इस दिशा में अग्रसर है। लेकिन विश्व के किसी भी देश के द्वारा निर्वासित संसद को मान्यता नहीं दी गई। इसके बावजूद इस सरकार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और अन्य मदद मिलती है।

चीन के समक्ष दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती सरकार ने राजनीतिक रूप से मध्यममार्ग की नीति का प्रस्ताव रखा है। वे तिब्बत के लिए किसी राजनीतिक स्वतंत्रता की मॉग नहीं कर रहे है बल्कि एक वास्तविक स्वायत्ता की बात करते हैं, इसके साथ ही वे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की गारंटी भी चाहते हैं जिसे चीन ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है।

संदर्भ सूची :–

1. Human Rights Law Network, Report of Refugee population in India, Nov. 2007
2.www.aryamantavya.in>india
3.वही
4.Deparment of information and international relation-DIIR
5.DIIR वही
6.व्यक्तिगत साक्षात्कार, 2 मई 2015, दलाई लामा कार्यालय, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

7.DIIR वही
8. www.officeoftibet.com "brief introduction to tibetan government in exile.
9. www.central tibetan relief commitee.org
10.www.central tibetan relief commitee.org
11. व्यक्तिगत साक्षात्कार, दिनांक 29–01–2016
12. व्यक्तिगत साक्षात्कार दिनांक 25–07–2015
13. डॉ. तेनजिन पेमा, अनुवादक एवं संपादक– मध्यम मार्ग की नीति का स्वरूप, विकासक्रम तथा परिणामः एक परिचय, सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विभाग, केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन, धर्मशाला।

डॉ. अनुराधा सिंह
सहा. प्राध्यापक राजनीति विज्ञान , शासकीय श्याम प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय सीतापुर, सरगुजा (छ.ग.)

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org